हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, 1956

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1956 ई0)

THE HINDI SAHITYA SAMMELAN (REORGANIZATION), ACT, 1956

(U.P. Act No. XXXVI of 1956)

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, 1956[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1956 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1957

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 अगस्त, 1956 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 अक्टूबर, 1956 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 14 नवम्बर, 1956 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशी सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 21 नवम्बर, 1956 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को पुनःसंघटित एवं पुनःसंविहित करने के लिये

अधिनियम

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का निगमन सन् 1911 ई० में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) के अधीन हुआ था ;

अब उसे पुनःसंघटित और पुनःसंविहित करना उचित है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के इस सातवें वर्ष मे निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ ।

1–(1) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, 1956 कहलायेगा ।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त विज्ञापित दिनांक को प्रचलित होगा ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो,

(क) "अन्तरिम मंडल" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित अन्तरिम मंडल से है ;

(ख) "अन्तरिम काल" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने और इसकी धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अन्तरिम मंडल के समाप्त होने के बीच के काल से है ;

(ग) "नियमावली" से तात्पर्य धारा 7 के अधीन और उसके अनुसार निर्मित अथवा संशोधित नियमावली से है और उसमें धारा 11 के अधीन और अनुसार निर्मित नियमावली का भी अन्तर्भाव है ;

(घ) "सम्मेलन" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन संविहित हिन्दी साहित्य सम्मेलन से है;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 2 अप्रैल, 1956 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

(ङ) "स्थायी समिति" से तात्पर्य नियमावली के अनुसार संविहित स्थायी समिति से है।

सम्मेलन की स्थापना और निगमन

3–(1) सम्मेलन के आदि सदस्य, इसके उपरान्त बनने वाले सदस्य, उस काल तक के लिये जब तक वे सदस्य बने रहें, और ऐसे निकाय, जिन्हें सम्मेलन नियमावली के अनुसार अपने प्रयोजनों के लिये संविहित करे, एतद्द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नाम से एक निगम निकाय के रूप में संविहित किये जाते है ।

(2) सम्मेलन शाश्वत उत्तराधिकारशील होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा एवं उस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) सम्मेलन का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में होगा ।

(4) सम्मेलन के आदि सदस्य होंगे ––

(क) वे व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक को सोसाइटीजं रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन निबद्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन के (जिसे आगे चलकर इस अधिनियम में "समाज" कहा जायेगा) विशिष्ट सदस्य थे ;

(ख) वे व्यक्ति जो पूर्वोक्त दिनाँक को समाज के स्थायी सदस्य थे ;

(ग) समाज के भूतपूर्व सभापति ; और

(घ) वे व्यक्ति जो समाज द्वारा मंगलाप्रसाद पारितोषिक पा चुके हों ।

(5) सम्मेलन की आगे की सदस्यता नियमावली के अनुसार होगी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

4– सम्मेलन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे : ––

(1) हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि की भारत एवं विदेशों में अभिवृद्धि, विकास तथा उन्नति के लिये कार्य करना ;

(2) हिन्दी साहित्य का सृजन, मुद्रण और प्रकाशन ;

(3) हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा परीक्षाओ की व्यवस्था करने और उपाधियां प्रदान करना ;

(4) हिन्दी भाषा और साहित्य के शिक्षण के लिए विद्यालय, महा–विद्यालय एवं अन्य संस्थाएं स्थापित करना और चलाना तथा अपनी परीक्षाओं के लिये विद्यालयों, महाविद्यलायों एवं अन्य संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना ;

(5) हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि का उद्देश्य रखने वालों संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना ;

(6) उत्कृष्ट हिन्दी–सेवियों को मानद एवं अन्य उपाधियाँ तथा वाचस्पत्य पदवियां प्रदान करना ;

(7) हिन्दी के विशिष्ट साहित्यकों को पारितोषिक प्रदान करना ;

(8) हिन्दी भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी अनुसंधान की उन्नति करना और उसे प्रोत्साहन देना ;

(9) पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो अन्य उपाय आवश्यक और उपयुक्त प्रतीत हों उन्हें काम में लाना ।

अधिकार और कृत्य

5–सम्मेलन अपने कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्य का पालन नियमावली के अनुसार करेगा ।

अधिकार और सम्पत्ति का निहित होना

6–(1) समाज इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन समाप्त हो जायेगा और कार्य करना बन्द कर देगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होते ही ––

(क) वे समस्त अधिकार और वह समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति जो उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज की थी या उसमें निहित थी इस अधिनियम के अधीन स्थापित सम्मेलन की होकर उसमें निहित हो जायगी ;

(ख) समाज के सभी ऋण और दायित्व सम्मेलन को संक्रान्त हो जायेंगे और तद्नन्तर उसके ही द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से भरे और चुकाये जायेगे ;

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित सभी प्रकार के करण, वसीयत, विलेख या लेख्य में, जिसके अन्तर्गत दित्सा, दान एवं न्यास वाले विलेख भी है, समाज के सम्बन्ध में हुए प्रत्येक उल्लेख का इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो यह उस अधिनियम द्वारा स्थापित सम्मेलन का ही उल्लेख हो ;

(घ) उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज से सम्बद्ध सभी विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं, जब तक सम्मेलन द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय, पूर्ववर्ती निबन्धनों और शर्तो के साथ सम्मेलन से सम्बद्ध हो जायेंगे।

नियमावली

7–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सम्मेलन नियमावली बना सकता है ; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम नियमावली धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार ही बनेगी।

(2) नियमावली में स्थायी समिति के, जो सम्मेलन का शासनिक निकाय होगा, संगठन और स्थापना की व्यवस्था रहेगी।

(3) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, नियमावली में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् ––

(क) सदस्यता से सम्बद्ध विषय, जिसके अन्तर्गत सम्मेलन के सदस्यों की पात्रता, विपात्रता, पद–त्याग एवं सदस्यता–समाप्ति भी है,

(ख) स्थायी समिति के अधिकार और कृत्य ;

(ग) सम्मेलन की समितियों एवं प्राधिकारियों के संगठन, स्थापना, अधिकार और कृत्यों से सम्बद्ध विषय ;

(घ) स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के संगठन के लिए निर्वाचनों का संचालन और उक्त निर्वाचनों के अवसर पर या उनके सम्बन्ध में शंकाओं और विवादों का निर्णय ;

(ङ) सम्मेलन की स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के कर्त्तव्य–पालन, कृत्य–सम्पादन एवं अधिकार–प्रयोग की रीति और प्रक्रिया ;

(च) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निधि की स्थापना और संधारण ;

(छ) खंड (च) में उल्लिखित निधि के विनियोग और उसमें से व्यय की रीति और प्रक्रिया ;

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लेखाबही तथा अन्य पूंजी और विवरण रखने की प्रक्रिया और प्रपत्र ;

(झ) सम्मेलन के वैतनिक सेवियों की नियुक्ति, नियन्त्रण एवं सेवा की अन्य शर्तें ;

(ञ) सम्मेलन, स्थायी समिति तथा नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के निमित्त एवं उनकी ओर से पत्र–व्यवहार, लेख्य–निष्पादन और संविदा ;

(ट) सम्मेलन, स्थायी समिति, अन्य समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा एवं उनके विरूद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन ;

(ठ) विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सम्बद्ध किये जाने से सम्बद्ध विषय ;

(ड) उपाधियों तथा वाचस्पत्य पदवियों के प्रदान से सम्बद्ध विषय ;

(ढ) पारितोषिकों के प्रदान से सम्बद्ध विषय ;

(ण) नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया ;

(त) सामान्यतया ऐसे अन्य विषय जिन्हें सम्मेलन अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिये आवश्यक समझे ।

(4) सम्मेलन को अधिकार होगा कि नियमावली को, जिसके अन्तर्गत धारा 11 के अधीन बनी नियमावली भी होगी, उसमें विहित प्रक्रिया के अनुसार समय–समय पर संशोधित करे ।

(5) नियमावली एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों की एक प्रति नियमावली बनने और संशोधन होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार को भेजी जायगी ।

अन्तरिम मंडल का संगठन

8–(1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक अन्तरितम मंडल स्थापित किया जायगा :–

(क) प्रथम नियमावली बनाना,

(ख) स्थायी समिति के लिए प्रथम निर्वाचन कराना,

(ग) अन्तरिम काल में सम्मेलन का कारबार चलाना ।

(2) अन्तरिम मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : ––

(क) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक सभापति,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री,

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित 9 अन्य सदस्य ।

(3) अन्तरिम मंडल राज्य सरकार द्वारा अपनी स्थापना सरकारी गजट में विज्ञापित किये जाने के दिन कार्यभार ग्रहण कर लेगा ।

(4) अन्तरिम मंडल की बैठकों के लिए गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी ।

(5) मृत्यु, पद–त्याग अथवा अन्य किसी कारण से अन्तरिम मंडल के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर मंडल के अन्य सदस्य उक्त स्थान की पूर्ति आमेलन द्वारा करेंगें, किन्तु अन्तरिम मंडल द्वारा किया गया कोई कार्य या पारित कोई प्रस्ताव उक्त कार्य किये जाने या प्रस्ताव पारित होने के समय ऐसी किसी रिक्ति के अपूरित रह जाने के कारण असाधु नहीं समझा जायगा ।

(6) अन्तरिम मण्डल के सभी निर्णय मंडल की बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होंगे ।

अन्तरिम मंडल का सम्मेलन एवं उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध का भार ग्रहण करना

9–इस अधिनियम की धारा 7 या अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अन्तरिम मंडल की स्थापना के दिनांक से ही उस पर सम्मेलन के कारबार का प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन का भार होगा और वह उक्त दिनांक को ही सम्मेलन की समस्त सम्पत्ति, जिसमें धारा 6 के अधीन सम्मेलन में निहित निधि और सम्पत्ति भी होगी, अपने अधिकार में ले लेगा ।

आदि सदस्यों की सूची

10–(1) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यदि राज्य सरकार कोई अनुदेश दे तो उनका पालन करते हुये, धारा 3 के अर्थ में सम्मेलन के आदि सदस्य समझे जाने वाले समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा ।

(2) सूची ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन आदि सदस्यों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् किसी समय अन्तरिम मंडल को यह प्रतीत हो कि त्रुटि से किसी व्यक्ति का नाम सूची में अंकित होने से रह गया है या सूची में अंकित हो गया है तो उसे अधिकार होगा कि वह उस नाम को उक्त सूची में अंकित कर दे या उसमें से निकाल दे और ऐसा नाम ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय प्रकाशित कर दिया जायगा । जहाँ किसी व्यक्ति का नाम पूर्वोक्त रीति से अंकित किया जाय वहां ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में सब प्रकार से यह समझा जायगा कि उसका नाम सूची में उपधारा (1) के अधीन तैयार होने के समय से ही रहा है।

(4) इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची में जिन व्यक्तियों के नाम होंगे उनके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति धारा 3 के अर्थ में सम्मेलन का आदि सदस्य नही समझा जायगा।

(5) न्यायालय उक्त सूची की वैचारिक अवेक्षा करेगा और उसे इस बात का निश्चायक प्रमाण मानेगा कि उसमें नामोल्लिखित व्यक्ति सम्मेलन के आदि सदस्य है ।

प्रथम नियमावली का निर्माण

11–(1) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से [1][12] मास के भीतर [2][अथवा ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार समय समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे] धारा 7 में विनिर्दिष्ट विषयों में से सब या किसी के विषय मे प्रथम नियमावली बनायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनायी जाने वाली प्रस्तावित नियमावली का एक आलेख्य राज्य सरकार के पास उसके अनुमोदन के लिये भेजा जायगा ।

(3) राज्य सरकार आलेख्य पाने के बाद यथाशीघ्र उस पर विचार करेगी और उसे अधिकार होगा कि वह उसे बिना किसी परिष्करण के या परिष्करणों के साथ अनुमोदित कर ले ।

(4) नियमावली, जिस रूप में राज्य सरकार उसे अनुमोदित करे, अन्तरिम मंडल द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार विहित करे ।

अन्तरिम मण्डल द्वारा स्थायी समिति का संगठन

12–अंतरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से [3][बारह] मास के भीतर या [4][ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे] नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायी समिति का प्रथम निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा और ऐसे सब उपाय काम में लायेगा जो पूर्वाक्त रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्थायी समिति के यथोचित संगठन और स्थापना के लिये आवश्यक हो ।

अन्तरिम मण्डल के अधिकार

13–इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त एवं उन्हें बाधित न करते हुये, अंतरिम मंडल अन्तरिम काल में सम्मेलन के निमित्त और उसकी ओर से आगे विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का सम्पादन करेगा ––

(क) सम्मेलन द्वारा प्राप्य सभी भाड़े, लगान एवं अन्य देय वसूल करना और सम्मेलन को दी गयी सहायतायें, दान, चन्दे, परीक्षा एवं इतर शुल्क तथा अन्य सभी धन प्राप्त करना ;

(ख) अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये उसे अपनी समझ से जो–जो व्यय आवश्यक प्रतीत हों उन्हें सम्मेलन की निधियों में से करना या करने की अनुज्ञा देना ;

(ग) ऐसे सभी बैंकों एवं अन्य स्थानों में जहां सम्मेलन का हिसाब हो वहां रूपया निकालना, पैठालना और इस प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक पदाधिकारियों को ऐसे सब हिसाबों में रूपया निकालने, पैठालने और विपत्रों, चिकों, रसीदों एवं अन्य ऐसे लेख्यों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना जिन पर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अन्तरिम मंडल को हस्ताक्षर करना हो या जिनका उसे निष्पादन करना हो ।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1957 की धारा 2(1) द्वारा प्रतिस्थापित (तथा सदैव से रखा समझा जायेगा)।
2. उक्त की धारा 2(ii) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उक्त की धारा 3(i) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उक्त की धारा 3(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) इस अधिनियम के अधीन सौपें गये अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अभिकर्ता, कार्यपालक या सेवी नियुक्त करना और, जैसी आवश्यकता प्रतीत हो, उन्हें अन्तरिम मंडल की ओर से अंतरिम–काल में वाद या प्रतिवाद प्रस्तुत करने अथवा अन्य कार्य करने का अधिकार देना ।

(ड़) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में उपविधि बनाना ।

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उन समस्त कार्यो को करना जिन्हें वह आवश्यक समझे

प्रशासन और सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।

14–धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित स्थायी समिति की स्थापना से 15 दिन के भीतर अन्तरिम मंडल सम्मेलन का प्रशासन और प्रबंध एवं उसकी सभी सम्पत्ति और निधि स्थायी समिति को हस्तान्तरित कर देगा, तदनन्तर स्थायी समिति नियमावली के अधीन उसे सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगी और उक्त 15 दिन की अवधि की समाप्ति के दिनांक तथा पूर्वोक्त रीति से प्रशासनादि के हस्तान्तरण के दिनांक मे से जो पूर्ववर्ती होगा उस दिनाँक को अन्तरिम मंडल समाप्त और विघटित हो जायगा ।

वादों और कार्यवाहियों का उपशमन

15–समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सब वाद, जिनका सम्बन्ध किसी ऐसे विवाद से हो जो समाज के संविधान और कार्य संचालन के विषय में हो और जिनमें समाज पक्षकार हो, चाहें वे मूल न्यायालय में चल रहे हों, चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उपशांत हो जायेंगे और उनके सम्बन्ध में हुई सब कार्यवाहियां प्रत्याहत हो जायेगी ।

कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार के अधिकार

16–राज्य सरकार को अधिकार होगा कि कठिनाइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को, जिनका सम्बन्ध अन्तरिम मंडल की स्थापना प्रथम नियमावली के निर्माण या सम्मेलन अथवा प्रथम स्थायी समिति की स्थापना से हो, दूर करने के प्रयोजन के लिये राजाज्ञा द्वारा यह आदेश दे कि यह अधिनियम राजाज्ञा मे विनिर्दिष्ट अवधि में उसके द्वारा आवश्यक और उचित समझे जाने वाले अनुकूलनों के साथ ही, जो परिष्करण, परिवर्द्धन या अपवर्तन में से किसी भी रूप में हो, सप्रभाव होगा ।